FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

जमालुदीन .... बनाम .... यूसुफ वगैरह

किस्म मुकदमा **राजस्व वाद** नं. ....256..... / सन् 2018

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने एक राजस्व वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा ....53, 92 A.... RT Act के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का भी पेश किया हैं जो सामिल मिसल हो। हस्ब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या ..5.... के विरुद्ध वाद पेश कने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस तलब किये जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 27.11.18. को पेश हो। SDO	964 28-9-18
27/11/18	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 21-2 20.19.... को पेश हो।	
21/2/19	वकील मय वादी द्वारा प्रा.पत्र वाद जरिये विड्रोल खारिज करने का पेश करते हैं पत्रावली आज पेश हुई। वकील मय वादीगण ने प्रा.पत्र पेश किया कि उक्त अन्तर्गत के प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी समझौता हो राजीनामा हो गया है। वादीगण अपने वाद में आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वाद पत्र जरिये विड्रोल खारिज फरमावे। प्रा.पत्र लाजिम है। अतः वकील मय वादीगण द्वारा प्रा.पत्र वास्ते वाद विड्रोल खारिज का पेश करते हैं वादीगण का वाद जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर रेकार्ड/अभिलेखागार जमा हो। SDO	[illegible] [illegible] अधिकारी